

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

ज्ञाप सं०-प्र०८-गो०आ०(गोपालगंज)-०४/२०२५-

६७६

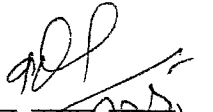
खाद्य, पटना/दिनांक-१९/०५/२०२५

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-३५७ दिनांक-०५.०५.२०२५ द्वारा श्री अतुल कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, विजयीपुर, गोपालगंज के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों का जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ ई-पॉश मशीन के माध्यम से e-KYC का कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली दुकानों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं का पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन नहीं करवाने एवं e-KYC का प्रचार-प्रसार नहीं कराने, बिना आधार सीडिंग वाले सदस्य को निकटवर्ती दुकान पर संधारित ई-पॉश मशीन पर निःशुल्क e-KYC कराने हेतु निदेशित नहीं करने, विभागीय निदेश एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, १९७६ के प्रतिकूल होने जैसे प्रतिवेदित आरोप के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोप जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, १९७६ के नियम-३(१) (i) के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उक्त आरोप/आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-१७/१९ के संगत प्रावधानों के अधीन श्री सिंह के विरुद्ध जाँच करने का प्रस्ताव है।

२. उक्त आरोप से संबंधित आरोप पत्र तथा प्रत्येक आरोप के मद्दों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए श्री अतुल कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, विजयीपुर, गोपालगंज से अपेक्षा की जाती है कि पन्द्रह (१५) दिनों के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन विभाग को अवश्य प्रस्तुत करें तथा यह भी बतायें कि जिन आरोप के मद्दों को आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, उनकी व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।

३. श्री सिंह को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त आरोप के मद्दों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन पन्द्रह (१५) दिनों के अन्दर विभाग को प्राप्त नहीं होगा, तब विभागीय जाँच एक पक्षीय/उपलब्ध साक्ष्य, अभिलेखों के आधार पर कर ली जाएगी।


(वीरेन्द्र कुमार प्रसाद)
सरकारी उप सचिव।

ज्ञापंक-प्र०८-गो०आ०(गोपालगंज)-०४/२०२५-

६७६

/खाद्य, पटना/दिनांक १९/०५/२०२५

प्रतिलिपि-१. श्री अतुल कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक, विजयीपुर, गोपालगंज को आरोप पत्र एवं साक्ष्य अभिलेखों के साथ (कुल-०७ पृष्ठ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
३. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज/अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
४. विभागीय आई० टी० मैनेजर (वेबसाइट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
१९/०५/२०२५



समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला आपूर्ति शाखा)

Email-dsngopalganj@gmail.com

पत्रांक/संचिका संख्या-xxiv-03/2025-352/आ०, दिनांक 05/05/2025

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सरकार के अपर सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार पटना।

विषय:- श्री अतुल कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विजयीपुर के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र "क" का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ अपने पत्रांक-863 दिनांक-17.04.2025 के द्वारा श्री अतुल कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, भोरे एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विजयीपुर के विरुद्ध आरोप प्रपत्र "क" गठित करते हुए उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त आरोप प्रपत्र "क" अनुमोदनोपरान्त साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनु०:-यथोक्त

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

प्रधान सचिव कोषांश
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
गो० सं० प्र० 705
दिनांक 07/05/2025

परिशिष्ट-1

आरोप-पत्र

(1) प्रथम भाग-सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1.	नाम :-	श्री अतुल कुमार सिंह
2.	पदनाम :-	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मोरे एवं प्रमारी प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, विजयीपुर
3.	जन्म तिथि :-	15.12.1985
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि :-	31.12.2045
5.	सेवा/संवर्ग का नाम	बिहार आपूर्ति सेवा
6.	पद समूह एवं विभाग:-	Food and Consumer Protection Department
7.	वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक:-	-
8.	वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर:-	Level-7
9.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन:-	2025, अनुमंडल कार्यालय, हथुआ।
10.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम:-	-
11.	43वीं के तहत कालावाधित होने की तिथि:-	लागू नहीं।

25.4.2025
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गोपालगंज।

25.4.25
अपर सहायक
गोपालगंज।

विश्वासभाजन
25/4/25
जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

परिशिष्ट-1

आरोप-पत्र

(1) प्रथम भाग-सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

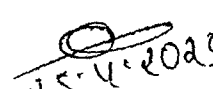
1.	नाम :-	श्री अतुल कुमार सिंह
2.	पदनाम :-	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, भोरे एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक, विजयीपुर
3.	जन्म तिथि :-	15.12.1985
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि :-	31.12.2045
5.	सेवा/संवर्ग का नाम	बिहार आपूर्ति सेवा
6.	पद समूह एवं विभाग:-	Food and Consumer Protection Department
7.	वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक:-	-
8.	वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर:-	Level-7
9.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन:-	2025, अनुमंडल कार्यालय, हथुआ।
10.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम:-	-
11.	43वीं के तहत कालाबाधित होने की तिथि:-	लागू नहीं।

विश्वसभाजन
जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

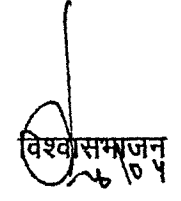
137

(2) द्वितीय भाग—अवचार या कवाचार के लाघनों का सार :—

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छावित सभी लाभुकों का वर्तमान में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ e-Pos मशीन के माध्यम से e-KYC का कार्य पूर्ण नहीं कराना।
2. सार्वजनिक सूचना के रूप, सभी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना का प्राथमिकता से पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन नहीं करना एवं e-KYC का प्रचार—प्रसार नहीं करना/कराना।
3. बिना आधार—सीडिंग वाले सदस्य निकटवर्ती विक्रेता की दुकान पर संधारित e-POS मशीन के माध्यम से निःशुल्क e-KYC कराने हेतु निदेशित नहीं करना।
4. उक्त से यह स्पष्ट है कि श्री अतुल कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भोरे द्वारा विभागीय निदेश एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) का उल्लंघन है।


25.4.2025
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गोपालगंज।
25-4-25


25/4/25
अपर समाहर्ता
गोपालगंज।


विश्वसम्भजन
26/04
जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

(2) द्वितीय भाग—अवचार या कदाचार के लाछनों का सार :-

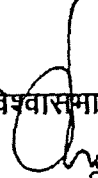
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित सभी लाभुकों का वर्तमान में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ e-Pos मशीन के माध्यम से e-KYC का कार्य पूर्ण नहीं कराना।
2. सार्वजनिक सूचना के रूप, सभी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना का प्राथमिकता से पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन नहीं करना एवं e-KYC का प्रचार-प्रसार नहीं करना/कराना।
3. बिना आधार-सीडिंग वाले सदस्य निकटवर्ती विक्रेता की दुकान पर संधारित e-Pos मशीन के माध्यम से निःशुल्क e-KYC कराने हेतु निदेशित नहीं करना।
4. उक्त से यह स्पष्ट है कि श्री अतुल कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भोरे द्वारा विभागीय निदेश एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

विश्वासभाजन
जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

14

(3) तृतीय भाग—अवचार याकयाचार के लक्ष्यों का अभिकथन—

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों का वर्तमान में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ e-Pos मशीन के माध्यम से छाथों के ऑगुलियों एवं आईरिश स्कैनर के माध्यम से e-KYC का कार्य करने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा विभागीय निदेश एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना करते हुए e-KYC का कार्य पूरा नहीं किया गया।
2. उक्त के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों का अब Facial e-KYC App एवं Pos मशीन माध्यम से सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं का e-KYC का कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर विहित प्रपत्र में प्रतिदिन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं किया गया।
3. दिनांक 31.03.2025 तक शत-प्रतिशत आधार-सीडिंग (e-KYC) सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने हेतु निदेशित दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं कर मनमाने तरीके से कार्य पूर्ण किया गया—
 1. सभी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकानों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना का प्राथमिकता से पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया जाय।
 2. स्थानीय स्तर पर माईकिंग एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाय, ताकि बिना आधार-सीडिंग वाले सदस्य निकटवर्ती विक्रेता की दुकान पर संधारित e-Pos मशीन के माध्यम से निःशुल्क e-KYC कराना।
 3. प्रत्येक वितरण दिवस को अनिवार्यतः 10.00—12.00 बजे का समय e-KYC के लिए निर्धारित करना।
 4. उक्त से यह स्पष्ट है कि श्री अतुल कुमार सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, भोरे द्वारा विभागीय निदेश एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) का उल्लंघन है।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

(4) चतुर्थभाग- (क) दस्तावेजों की सूची:-

(जिनके द्वारा आरोप के मर्दों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)		
क्र०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ का पत्रांक-67 दिनांक-08.03.2025	01
2	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक-191 दिनांक-03.03.2025, 33 दिनांक- 16.01.2025	03
3	खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक-20.02.2025 एवं 22.01.2025 को निर्गत पत्र	03
4	e-KYC प्रतिवेदन एवं जिला आपूर्ति की समीक्षात्मक बैठक हेतु प्रतिवेदन।	18

विश्वासभाजन
2/04
जिला पदाधिकारी
गोपालगंज।

संख्या :- IV

123

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज
की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति
की समीक्षात्मक बैठक

12.04.2025

e-KYC Report :-

21

Date-24.03.2025														Date-11.04.2025					
Sl No.	Sub-division	Block	Total			Work Done (%)	Pending (%)	Total			Work Done (%)	Pending (%)	Progress (%)						
			Beneficiaries Rutar + Urban	Beneficiaries e-KYC Completed	Beneficiaries e-KYC Pending			Beneficiaries Rutar + Urban	Beneficiaries e-KYC Completed	Beneficiaries e-KYC Pending									
1	Gopalganj	Baikunthpur	165818	132014	33804	79.61	20.39	163823	132799	31024	81.06	18.94	1.45						
2		Barauli	211972	167785	44187	79.15	20.85	212618	168356	44262	79.18	20.82	0.03						
3		Gopalganj	153210	115659	37551	75.49	24.51	154366	116487	37879	75.46	24.54	-0.03						
4		Kuchaikote	251280	194924	56356	77.57	22.43	252173	196140	56033	77.78	22.22	0.21						
5		Manjha	159651	117141	42510	73.37	26.63	160418	117854	42564	73.47	26.53	0.09						
6		Sidhwalia	128246	95845	32401	74.74	25.26	128451	96253	32198	74.93	25.07	0.20						
7		Thawe	77384	58981	18403	76.22	23.78	77155	59495	17660	77.11	22.89	0.89						
Total:-			1147561	882349	265212	76.89	23.11	1149004	887384	261620	77.23	22.77	0.34						
1	Hathua	Bhorey	115609	83765	31844	72.46	27.54	117639	84835	32804	72.11	27.89	-0.34						
2		Bijaipur	91422	61959	29463	67.77	32.23	90597	63163	27434	69.72	30.28	1.95						
3		Hathua	133901	98429	35472	73.51	26.49	136431	101372	35059	74.30	25.70	0.79						
4		Kateya	83378	62899	20479	75.44	24.56	82970	64619	18351	77.88	22.12	2.44						
5		Panchdeori	68775	52605	16170	76.49	23.51	68143	53429	14714	78.41	21.59	1.92						
6		Phulwaria	71682	56664	15018	79.05	20.95	72280	58116	14164	80.40	19.60	1.35						
7		Uchkgaan	106545	77736	28809	72.96	27.04	107754	79632	28122	73.90	26.10	0.94						
Total:-			671312	494057	177255	73.60	26.40	675814	505166	170648	74.75	25.25	1.15						
Total:- (Gopalganj+Hathua)			1818873	1376406	442467	75.67	24.33	1824818	1392550	432268	76.31	23.69	0.64						